B.Ed. 2nd Year
Session – 2018-2020
Subject – School Mangagement and Leadership
Course – 11(E) /Unit – 1(a)
Topic – **विद्यालय-संगठन के सिद्धांत**
(Principles of School-Organisation)

Dr. Amod Kumar Sinha
(Assistant Professor)
Department of Education
A.N. D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 84

Continued from previous lecture....

प्रोफेसर एच० सी० रसीद ने विद्यालय संगठन के लिए निम्नांकित सिद्धांत आवश्यक बताए हैं -

I. उसका समाज के सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होना।
II. उसका शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालय की विशिष्टता के अनुरूप होना।
III. उसका छात्रों की विभिन्न योग्यता और वृद्धि-गति के अनुसार गठन होना।
IV. उसके अन्तर्गत छात्रों के लिए मूलभूत मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक कुशलताओं के शिक्षण का प्रावधान होना।

एल्सब्री और मैकनेली (Elsbree and Mac Nally) ने निम्नांकित सिद्धांतों को एक कार्यकारी विद्यालय-संगठन के लिए आवश्यक माना है -

I. संगठन के अन्तर्गत शिक्षकों को छात्रों के संबंध में घनिष्ठ परिचय प्राप्त करने हेतु अधिकतम परस्पर संपर्क के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था का होना।
II. संगठन के अन्तर्गत छात्रों का शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से वर्गीकरण करना।
III. संगठन का गठन इस प्रकी किया जाना चाहिए जिससे समय, स्थान, शिक्षक और अन्य साधनों में अधिकतम लचीलापन हो।

IV. संगठन का छात्रों के सीखने-संबंधी कार्यक्रम की एकता एवं उनकी निर्वाह में सहायक होना।

V. संगठन का मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य एवं बाल-विकार सिद्धांतों के अनुरूप होना।

VI. संगठन का सरल तथा प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक होना।

VII. संगठन का प्रजातन्त्रीय सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप होना तथा छात्रों के लिए उसका उपयोगी होना।

VIII. संगठन का स्थानीय परिस्थितियों से विवेकयुक्त एवं प्रभावशाली ढंग से संबंधित होना।